जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

Website.www.jaipurdiscom.com

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)

पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर

(फोन नं. 0141–2200334, फैक्स नं. 0141– 2202241)

E-Mail : serejvvnl@yahoo.co.in

क्र. जे.पी.डी./अधी.अभि.(आर.ई)/अधि.अभि.(II)/सहा.अभि(II)/प. 146/प्रे. 1093 दि 4/9/17

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन नीति–2004 (यथा संशोधित) एवं कृषि कनेक्शन नीति – 2017 के मुख्य बिन्दुओं का तुलनात्मक विवरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 12(4)ऊर्जा/2014 दिनांक 09.08.2013 द्वारा कृषि कनेक्शन नीति – 2017 जारी कर दी गई है एवं इसी क्रम में आदेश आरई ओं–267 दिनांक 12.08.2017 जारी किया गया है।

अतः कृषि कनेक्शन नीति–2017 में उल्लेखित प्रावधानों को समझने एवं इनके उचित व्याख्या एवं क्रियान्वयन हेतु पूर्व कृषि कनेक्शन नीति – 2004 (यथा संशोधित) एवं नयी कृषि कनेक्शन नीति – 2017 के कुछ मुख्य बिन्दुओं का तुलनात्मक विवरण अनुलग्न(अ) में सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। उक्त तुलनात्मक विवरण को आपके अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता को प्रेषित करने का श्रम करे ताकि कृषि कनेक्शन नीति–2017 का उचित क्रियान्वयन हो सके। कृषि कनेक्शन जारी करने एवं उससे सम्बन्धित मामलों में विस्तृत व्याख्या एवं अनुपालन REO 267 में निहित प्रावधान के तहत की जाना सुनिश्चित् करें।

संलग्नः अनुलग्न (अ) पृष्ठ संख्या 1 से 9 तक

4.9.17

मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट प्लानिंग)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर ।
2–अध्यक्ष डिस्कॉम्स जयपुर।
3–प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर
4–निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
5–सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर/भरतपुर/कोटा।
6–मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
7–अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
9. प्रावेधिक सहायक,प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर
10–प्रावेधिक सहायक, मुख्य अभियता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
11– प्रावेधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
12– अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर।
13–मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
14–सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय,जयपुर ।
15–अधिशाषी अभियंता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
16– विशिष्ठ सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर।
17–जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
18–निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
19– निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटैड जयपुर को सूचनार्थ।
20–इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।

4.9.17

मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट प्लानिंग)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

कृषि कनेक्शन नीति – 2004 (यथा संशोधित) एवं कृषि कनेक्शन नीति – 2017 के मुख्य बिन्दूओं का तुलनात्मक विवरण।

क्र. स.	कृषि कनेक्शन नीति – 2004 (संशोधित 31.03.2007 तक) एवं इसके बाद जारी होने वाले आर.ई. आदेशो में उल्लेखित प्रावधान		कृषि कनेक्शन नीति – 2017 में उल्लेखित प्रावधान	
	बिन्दु संख्या	विवरण	बिन्दु संख्या	विवरण
1.	7	**शहीद कोटे में कृषि कनेक्शन** (iii) कृषि नीति में शहीद कोटे के अन्तर्गत एक कृषि कनैक्शन देने से संबंधित प्रचलित प्रावधान शहीद होने की तिथि से 12 वर्ष तक लागू (Valid) है तथा जिस कृषि भूमि पर कनैक्शन चाहा गया है उस पर आवेदक का मालिकाना हक 2 वर्ष का होने का प्रावधान है।	7.	7.1.2 शहीद होने के 12 वर्ष तक एवं आवेदक का मालिकाना हक कम से कम 2 वर्ष होने के प्रावधान को समाप्त कर प्रस्तावित नीति में शहीद के परिवार के सदस्य विद्युत कनैक्शन हेतु किसी भी समय आवेदन कर सकते है।
2.		**गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु सीमान्त किसानों को कृषि कनेक्शन** गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु सीमान्त किसानों को प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं है।	7.	7.1.3 गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु सीमान्त किसानों को 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र जारी करने में तीन वर्ष की अधिभावी प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस कोटे में 3 वर्ष की प्राथमिकता का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ता कृषि कनैक्शन में भार वृद्वि उस क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता के समकक्ष सामान्य कृषि योजना के कृषि कनेक्शन जारी होने की तिथि अथवा कृषि कनेक्शन जारी होने से अधिकतम 3 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने की तिथि जो भी पहले आयेगी उस तिथि के पश्चात् करवा सकेंगे ।

3.		**इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के समीप रहने वाले कृषकों को कृषि कनेक्शन** वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के समीप रहने वाले कृषकों को कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है।	7.	7.1.3 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर के दोनों तरफ एक किलोमीटर की दूरी मे जहां सेम (WATERLOG GING) की समस्या है वहां 5 एच.पी. तक कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन करने वाले कृषकों को कृषि कनेक्शन मांग पत्र में तीन वर्ष की अधिभावी प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिये आवेदक को सम्बन्धित विभाग से इस आशय का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस कोटे में 3 वर्ष की प्राथमिकता का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ता कृषि कनैक्शन में भार वृद्वि उस क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता के समकक्ष सामान्य कृषि योजना के कृषि कनैक्शन जारी होने की तिथि अथवा कृषि कनैक्शन जारी होने से अधिकतम 3 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने की तिथि जो भी पहले आयेगी उस तिथि के पश्चात् करवा सकेंगें।
4.	9.	**मांग पत्र के लिए भार का निर्धारण** **(ii) नये कृषि कनेक्शन हेतु तकनीकी साध्यता एवं तकमीना : –** **(छ)** यदि 11 के.वी. फीडर के वी.आर. 8 प्रतिशत से ज्यादा है तो किसी भी श्रेणी में मांग पत्र नहीं रोका जाएगा। फीडर सुधार की स्कीम बना कर कार्य प्राथमिकता से कराया जाए।	5.	**नये कृषि कनेक्शन हेतु तकनीकी साध्यता** **5.1** पारदर्शिता हेतु प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उपखंडवार सभी 11 केवी फीडरों के वोल्टेज रेगुलेशन की सूचना डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जावेगी। कृषि कनेक्शन आवेदक को उसके कुऐं/बोरिंग से न्यूनतम दूरी वाले 11 के.वी. ग्रामीण फीडर से कृषि कनेक्शन दिया जायेगा। यदि न्यूनतम दूरी वाला फीडर तकनीकी रूप से साध्य नहीं है तो अनुच्छेद 5.2 के अनुसार फीडर सुधार करने के पश्चात

				ही कृषि कनेक्शन देय होगा। 5.2 11 के.वी.फीडर पर वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक होने पर डिमाण्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता फीडर के सिस्टम सुधार की योजना बना कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर छः माह की अवधि में सिस्टम में सुधार करने के उपरान्त ही आवेदक को कनेक्शन जारी करेंगा। डिमाण्ड नोटिस जारी होने के छः माह की अवधि समाप्त होने के बाद यदि फीडर की सिस्टम सुधार की योजना पूर्ण नही होती है तो वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक व 10 प्रतिशत तक होने पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर कनेक्शन फीडर सुधार के बाद ही जारी किये जायेगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन केवल ग्रामीण फीडर (ब्लॉक सप्लाई) से ही दिये जावेंगे।
5.	11.	**मांग पत्र की अवधि** कृषि कनैक्शन आवेदन पत्रावली में मांग पत्र जारी करने की दिनांक से 90 दिवस में मांग पत्र राशि जमा नहीं करवाने पर पत्रावली निरस्त कर दी जाती है। निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियो को पुनर्जीवित करने के संबंध में निगम से समय–समय पर आदेश जारी किये जाते है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों/प्रकरणों में माँग पत्र की राशि जमा नहीं करने के	10.	**मांगपत्र राशि की अवधि** 10.2 सामान्य योजना के आवेदक जो निर्धारित अवधि में मांगपत्र जमा नहीं करवाते है, वे अपने आवेदन को रू. 500/– जमा करवा कर पुनर्जीवित करवा सकेगें बशर्ते वे मांग पत्र जारी करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में

		कारण निरस्त हो चुकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने हेतू समिति बनाई गई है जिसमें निदेशक (तकनिकी),संबंधित संभागीय मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता(आर.ई) सदस्य है। मांग पत्र जमा होने क पश्चात निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावलीयो को पूनर्जीवि करने का कोई प्रावधान नहीं हैं।		आवेदन करते हैं। मांगपत्र राशि जमा कराने की अतिंम दिनांक से जितने दिन बाद आवेदन को पुनर्जीवित करने हेतु रू. 500/– जमा करवाते है, उसके आवेदन की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि से उतनी ही आगे कर निर्धारित की जावेगी किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं बढाई जावेगी तथा मांगपत्र नवीन प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जावेगा। अन्य योजनाओं के आवेदक कृषि कनेक्शन पत्रावली निरस्त होने के पश्चात् यदि पुनः कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो उन्हें कृषि कनेक्शन हेतु पुनः आवेदन करना होगा। समस्त योजनाओं में पुनर्जीवित के प्रकरणो में मांग पत्र राशि की गणना इस नीति के तहत ही की जायेगी चाहे मांग पत्र इस नीति से पूर्व जारी किया गया हो। सभी योजनाओं में मांग पत्र की राशि जमा कराने के बाद एल फार्म/शपथ पत्र जमा नही कराने या अन्य किसी कारण से पत्रावली निरस्त की जाती है तो रू. 500/– जमा करवाकर आवेदक अपनी निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावली को पुनर्जीवित करवा सकते है। बर्शते अपनी मांग पत्र की राशि वापस नही ली हो। प्राथमिकता रू. 500/– जमा

				कराने की तारीख से निर्धारित की जावेगी।
6.	14.	आवेदक द्वारा जमीन बेचने पर, आवेदक की मृत्यु होने पर आपसी बंटवारा होने पर, अनुसूचित जाति के कृषकों द्वारा नयी जमीन खरीदने पर कृषि कनैक्शन के आवेदन जमा कराने के बाद यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो मांग पत्र की राशि जमा कराने के लिये मना नहीं किया जाये तथा सम्बन्धित विभाग के प्रमाण पत्र के आधार पर तुरन्त नामान्तरण की कार्यवाही की जाये। रजिस्ट्री बेचान के आधार पर पूर्व कृषक के नाम से आवेदित प्रार्थना पत्र पर जमीन बेचने पर क्रेता को ही कृषि कनेक्शन देय हैं । आपसी बंटवारे के आधार पर आवेदित प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये खसरा नम्बर जहॉ कुआ स्थित है, अगर बंटवारे के पश्चात् यह खसरा जिस हिस्सेदार के नाम पर आवंटित होता है तथा वैधानिक नामान्तरण को सुनिश्चित करने के उपरान्त उस हिस्सेदार को भी उपरोक्तानुसार कनेक्शन देय है । (i) अनुसूचित जाति के ऐसे कृषि आवेदक जिन्होंने चालू वित्त वर्ष से तीन वर्ष पूर्व कम से कम दो बीघा कृषि भूमि सवर्ण / पिछडी / अनुसूचित जनजाति के कृषक / कृषकों से क्रय की हो, उन्हें जमीन की खरीद सम्बन्धी पूर्ण जांच संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) द्वारा किये जाने के बाद कनेक्शन दे दिये जावें। (ii) जिन प्रकरणों में जमीन की खरीद को चालू वित्त वर्ष में 3 वर्ष से कम समय हुआ है ऐसे प्रकरणों में अनुसूचित जाति के कृषकों को अनुसूचित जाति प्राथमिकता से कनेक्शन नहीं दिया जावेगा। * कृषि कनेक्शन हेतु आवेदित खसरा वैधानिक बंटवारे में दूसरे भाई के नाम आने पर आवेदक के नाम दूसरा खसरा आने पर आवेदक के नाम से आवेदित कृषि कनेक्शन दूसरे खसरे में	14. 7.1.2	**नाम परिवर्तन** **14.1** कृषि कनेक्शन होने से पूर्व या कनेक्शन होने के बाद आवेदक का नाम परिवर्तन उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कृषि भूमि का स्वामित्व होने पर किया जायेगा। **14.2** कनेक्शनों के नाम परिवर्तनों की स्वीकृति के लिए अधिशाषी अभियन्ता अधिकृत होंगे। • राज्य के समस्त अनुसूचित जाति के व्यक्ति; यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भूमि खरीदता है तो कम से कम दो बीघा कृषि भूमि चालू वित्तीय वर्ष से कम से कम तीन वर्ष पूर्व उनके नाम होने की बाध्यता लागू होगी। जमीन की खरीद सम्बन्धी पूर्ण जांच अधिशाषी अभियन्ता (ओ.एण्ड.वी.) द्वारा किये जाने के बाद उसे कनेक्शन दे दिया जायेगा।

		आपसी सहमति होने पर जारी कर दिया जावे। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि यदि कृषि कनेक्शन पिता के नाम से आवेदित है तथा पिता की मृत्यु हो जाने पर सभी वारिसान भूमि का तकासमा करा लेते है और ऐसी स्थिति में आवेदित खसरा जिस वारिस के नाम आता है, उसे तो कनेक्शन जारी किये जाने का कृषि कनेक्शन नीति में प्रावधान है ही लेकिन यदि आवेदित खसरे वाले वारिस की सहमति हो तो अन्य वारिस को अपने हिस्से के खसरे/भूमि में कनेक्शन जारी कर दिया जावें। ** कृषि भूमि विक्रय करने एवं सैटलमेंट के कारण आपसी बंटवारे में आए कुंओं के कृषि कनैक्शनों के नाम परिवर्तन करने की स्वीकृति के लिए अधिशाषी अभियन्ता अधिकृत होगे। *** कृषि उपभोक्ता की मृत्यु होने के पश्चात् उपभोक्ता के वारिसान के नाम राजस्व विभाग द्वारा जारी वैधानिक नामान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि विद्युत कनेक्शन के नाम परिर्वतन की स्वीकृति के लिए सहायक अभियन्ता अधिकृत होगे। * आर.ई.ओ–174 दि. 30.06.2007 ** आर.ई.ओ–179 दि. 23.10.2010 *** आर.ई.ओ–196 दि. 01.05.2008		
7.	22.	**कनेक्शन का स्थान परिवर्तन** वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा जमीन/कुंआ जहां कृषि कनेक्शन स्थित है उस भूमि को बेचने के पश्चात् कृषि कनेक्शन के स्थान परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है।	15.	**कनेक्शन का स्थान परिवर्तन** 15.7 यदि उपभोक्ता अपनी जमीन/कुआँ जिसमें कनेक्शन स्थित है, को बेच देता है व विक्रय पत्र या अन्य दस्तावेजों में कनेक्शन क्रेता के नाम करने की सहमति नहीं दी है तो ऐसी स्थिति में मूल उपभोक्ता चाहे तो उस कनेक्शन को अपनी अन्य भूमि/कुऐं पर स्थानातंरित करवा सकता है या स्थाई रूप से संबंध विच्छेद करा सकता है।

8.	23.	**स्वीकृत भार बढाना** (i) आर.ई.ओ 252 दिनांक 26.04.2016 द्वारा हटा दिया गया हैं।	16	**स्वीकृत भार बढ़ाना या कम करना** 16.1 उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार विद्युत भार बढ़वा या कम करवा सकता है किन्तु कनेक्शन होने या भार बढाने/कम करने के बाद एक वर्ष तक स्वीकृत भार कम नहीं किया जा सकेगा। 16.4 मांगपत्र रजिस्टर्ड एडी पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांगपत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। 16.6 भार बढ़ाने एवं कम करने की स्वीकृति सहायक अभियन्ता द्वारा दी जायेगी।
9.	24.	**कटे हुए कनेक्शन को पुनः चालू करना** बकाया राशि पर पर ब्याज 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष छःमाही चकवृद्धि दर से लेने का प्रावधान है।	17.	**कटे हुए कनेक्शन को पुनः चालू करना** बकाया राशि पर पर ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष छःमाही चकवृद्धि दर से लेने का प्रावधान है।
10.		*यदि ट्रांसफार्मर जलने पर कृषि उपभोक्ता जला हुंआ/खराब हुआ ट्रांसफार्मर मौके से लाकर सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा कराने एवं नया ट्रांसफार्मर सहायक अभियन्ता कार्यालय से अपने कनेक्शन के स्थान तक ले जाने के लिये सहयोग करता है तो उसे सहयोग राशि के रूप में रू. 700 का भुगतान आगामी विद्युत बिलो में समायोजित कर दिया जायेगा। *** आर.ई.ओ – 264 दि. 19.06.2017**	20.	**जले या खराब ट्रांसफार्मर को बदलना** 20.1 उपभोक्ता द्वारा जले ट्रांसफार्मर की शिकायत 33/11 के.वी. सब स्टेशन पर संधारित शिकायत पुस्तिका में दर्ज कराई जावेगी । 20.2 सामान्य परिस्थितियों में जले या खराब ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदल दिया जायेगा किन्तु निम्न परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने की बाध्यता नहीं होगी। • उपभोक्ता पर बकाया राशि होने पर

				• ट्रांसफार्मर चोरी होने पर • ट्रांसफार्मर के मीटर बॉक्स की वैल्डिंग टूटी पाये जाने पर 20.3 यदि ट्रांसफार्मर जलने पर कृषि उपभोक्ता जला हुआ/खराब हुआ ट्रांसफार्मर मौके से लाकर सहायक अभियंता कार्यालय में जमा कराने एवं नया ट्रांसफार्मर सहायक अभियंता कार्यालय से अपने कनेक्शन के स्थान तक ले जाने के लिये सहयोग करता है तो उसे सहयोग राशि के रूप में रू. 700/– का भुगतान आगामी विद्युत बिलों की राशि में समायोजित किया जावेगा। 20.4 ट्रांसफार्मर मे लघु/छोटी खराबी होने पर उसे मौके पर ही मरम्मत कर दी जावे जिसके लिये निगम की प्रचलित सी.एल.आर.सी. दरो पर मरम्मत का प्रावधान पूर्व मे निहित है।
11.		*जो कृषक एनर्जी एफिशियेन्ट पम्पसैट का विकल्प चयन करते हुए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणति कम से कम थ्री स्टार रेटेड पम्प सैट स्थापित करेगे उनहे रूपये 750/– प्रति हॉर्सपावर की दर से राशि सम्बन्धित विद्युत निगमो द्वारा अनुदानित की जावेगी। यह अनुदान राशि कृषको को उन्हे जारी मासिक विद्युत बिलो में 12 समान किश्तो मे समायोजित की जावेगी। यह समायोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित पम्प सैट लगाये जाने का बिल सहित विवरण प्रस्तुत करने एवं संबंधित कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता द्वारा स्थापना प्रमाणित किये जाने पर ही देय है।	5.	5.5 यदि आवेदित भार 20 एच.पी. तक का है तो कृषि कनेक्शन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित 5 स्टार रेटेड का पंप सेट स्थापित करने पर ही दिया जायेगा। जो उपभोक्ता अपनी स्थापित साधारण मोटर के स्थान पर 5 स्टार रेटेड मोटर लगायेगा उसे सहायक अभियंता द्वारा उचित सत्यापन करने के पश्चात् रूपये 750/– प्रति एचपी का अनुदान आगामी विद्युत बिलों में छूट दी जायेगी।

		उक्त अनुदान राशि का आवेदक द्वारा दावा (Claim) करने के लिये जाने वाले आवेदन एवं अनुदान राशि स्वीकृत करने हेतु **प्रपत्र परिशिष्ठ–ब पर संलग्न है। * **आर.ई.ओ–227 दि. 29.08.11** ** **आर.ई.ओ– 231 दि. 20.12.2011**		
12.		वर्तमान में आवेदक द्वारा लाईन खडी करने एवं सबस्टेशन निर्माण का कार्य करने का कोई प्रवधान नहीं है।	11.	**11.2** मांग पत्र जमा करते समय आवेदक यह विकल्प देगा कि लाइन खडी करने तथा सबस्टेशन निर्माण करने का कार्य वह स्वयं अपने स्तर पर कराना चाहता है अथवा निगम द्वारा कराना चाहता है। यदि आवेदक स्वयं के स्तर पर निगम द्वारा अनुमोदित संविदाकार / विद्युत निरीक्षक द्वारा अधिकृत लाईसेंसधारी के माध्यम से लाईन इत्यादि खडी कराने का कार्य कराता है तो इस आशय का 50 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित एक शपथपत्र (परिशिष्ठ–2) प्रस्तुत करने पर आवेदक को रू. 750/– प्रति स्पान की दर से लाइन खीचने की राशि उसके आगामी विद्युत बिलों में समायोजित कर दी जायेगी। सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता लाईन कार्य की गुणवत्ता व विद्युत अधिनियम–2005 में वर्णित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवायेगा। ट्रांसफार्मर निगम द्वारा ही स्थापित किया जायेगा।